


29 90

[15/3/2022]

प्रश्न सं. [क. 2474]



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
एक पढ़े सब बढ़े

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/पुस्त./SSA/2020/8122

भोपाल दिनांक 8/12/2020

आदेश

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली का नस्ती क्रमांक 15-10/2019-IS-11 दिनांक 19/07/2019 व क्रमांक F-No22-4/2019/15-4 नई दिल्ली दिनांक 21/01/2020 के द्वारा म.प्र. की प्रत्येक प्रा. शा. एवं मा. शा. की लायब्रेरी हेतु क्रमशः पाँच हजार एवं दस हजार के मान से 69.80 करोड़ रुपये AWP वर्ष 2020-21 में स्वीकृत हुए हैं। निर्देशानुसार NCERT/CIIL/NBT व अन्य के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से ही पुस्तकों का क्रय करने के निर्देश हैं।

NBT एवं CIIL से प्रकाशित पुस्तकों की स्पेसीमैन कॉपीयां व NCERT से पुस्तकों की सूची राज्य शिक्षा केन्द्र को प्राप्त हो गई है। इन पुस्तकों में से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का चयन करने हेतु निम्नांकित चयन समिति गठित की जाती है।

पुस्तक चयन समिति

क्र.सं.	नाम	पद	विवरण
1.	श्री लोकेश कुमार जाटव	सचिव स्कूल शिक्षा	
2.	श्री लोकेश कुमार जांगिड(अपर मिशन संचालक)	संचालक राज्य परियोजना SSA (प्रतिनिधि)	
3.	श्री ओ.एल.मण्डलोई(अपर संचालक)	संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थान (प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	श्री महेश सक्सेना (सेवानिवृत्त अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल व संचालक बाल साहित्य शोध केन्द्र भोपाल)	प्रख्यात बाल साहित्य लिखने वाले लेखक	सदस्य
5.	श्री सुधाकर पाराशर (प्राचार्य स्कूल ऑफ एक्सलेंस भोपाल)	विद्यालयों के प्राचार्य	सदस्य
6.	1. श्री हरिश्च मारन शिक्षक (माध्यमिक विद्यालय) 2. डा. वर्षा चोबे शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय)	विद्यालयों के शिक्षक	सदस्य
7.	श्री महेश जैन (सहायक प्राध्यापक IASE भोपाल)	शिक्षाविद	सदस्य

(प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

के. त्रिवेदी

पृ.क्रमांक/राशिके/पुस्त./SSA/2020/8123

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(ओ.एल.मण्डलोई)

अपर संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल म.प्र.

भोपाल दिनांक 8/12/2020

4/12/21

Languages (CILL), State Council of Educational Research and Training (SCERT) and other Central and State Government agencies can be considered for selection, including Publication Division of Ministry of Information and Broadcasting.

- o The States and UTs may utilise up to 50% of the funds for procurement of library books in regional/local languages from publishers who publish books in regional/local languages. Books purchased from private publications should be age-appropriate, child friendly, and in local/mother tongue/regional/tribal Language. (NEP Para 2.8, 5.9, 22.6)
- o The books selected should strictly abide by the ethos of the constitution and shall promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India.
- o The entire list of the books approved by the committee shall be made available in public domain/website of the State/UT education website.
- o The monitoring of utilization of library grant and its availability at schools will be done through PRABANDH portal.
- The books that can be procured under the library grant of the Samagra Shiksha include the following:
 - o Story Books
 - o Reputed Children's Magazines and Comics
 - o Referral books for Secondary and Senior Secondary students.
 - o Other books that are considered essential for the holistic development of the child, such as, books on mental health and well-being, sports, arts, music, design thinking, etc.

यदि कोई
बुक
नहीं है तो

However, the funds cannot be used to procure textbooks, reference books, exam related publications or any material unsuitable or inappropriate for children till the age of 18.

- All books procured for libraries under Samagra Shiksha scheme must be procured at State and UT level by the Committee.
- States and UTs may place direct orders with NCERT/NBT/CILL/I&B/SCERT and other publishers for procurement of the books or obtain the copyright of books.
- Supply of books ordered should be at State and UT Head Quarter level, or at district level in larger States. States and UTs are to distribute the books school-wise as in the case of textbooks.

2/12/21
21/12/21

9 के. त्रिवेदी)
विशेष सहायक अधिकारी
स.स. सामग्र. शैक्षण. विभाग

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी विंग, आररा हिल्स, भोपाल--462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/पुस्त./SSA/2020/977

भोपाल दिनांक 5/2/2020

आदेश

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली का नस्ती क्रमांक 15-10/2019-IS-11 दिनांक 19/07/2019 के द्वारा म.प्र. की प्रत्येक प्रा. शा. एवं मा. शा. की लायब्रेरी हेतु क्रमशः पाँच हजार एवं दस हजार के मान से 70.57 करोड़ रुपये AWP वर्ष 2019-20 में स्वीकृत हुए हैं उपरोक्त अंकित पत्र में पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का क्रय राज्य शिक्षा केन्द्र आदेश क्रमांक/राशिके/033/2016/8946 भोपाल दिनांक 20/12/2016 के द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा किया जाना है।

उपरोक्त निर्देशानुसार NCERT/CIIL/NBT के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से ही पुस्तकों का क्रय करने के निर्देश है। NCERT के द्वारा अवगत कराया गया है कि बुलबुल तथा बैना सीरीज का प्रकाशन नहीं किया जाता है।

NBT एवं CIIL से प्रकाशित पुस्तकों की स्पेसीमैन कॉपीयां राज्य शिक्षा केन्द्र को प्राप्त हो गई हैं। उन पुस्तकों में से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का चयन करने हेतु निम्नांकित समिति गठित की जाती है। यह समिति 6 एवं 7 फरवरी 2020 को पुस्तकों का चयन कर पुस्तकालय को सूची प्रस्तुत करें।

पुस्तक चयन समिति

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. श्री ए. के. पारिक | नियंत्रक पाठ्यक्रम (अध्यक्ष) |
| 2. श्री आर. पी. त्रिपाठी | सलाहकार (विज्ञान) |
| 3. श्री लोकेश खरे | सलाहकार (हिन्दी) |
| 4. श्री अरूण भार्गव | वरिष्ठ व्याख्याता |
| 5. श्री राजेन्द्र असाठी | व्याख्याता |
| 6. श्री अमित सक्सेना | व्याख्याता (ELT) |
| 7. श्रीमती सीमा सक्सेना | सदस्य सचिव/समन्वयक पुस्तकालय |

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(आईरीन सिंधिया जे. पी.)

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल म.प्र.

भोपाल दिनांक 5/2/2020

पृ.क्रमांक/राशिके/पुस्त./SSA/2020/978

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. श्री/श्रीमती/शुश्री सदस्य समिति की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

श्री. त्रिवेदी)

सदस्य अधिकारी

राज्य शिक्षा विभाग

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल म.प्र.